

कार्यालय आयुक्त सहायक एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश

क्रमांक / स्थापना / 1 / 2011 / 410

गोपाल दिनांक 7-6-11

आदेश


सहायक विभाग के सहायक आयुक्त संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण कर अन्य आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम अधिकारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04	05
1.	श्री मुकेश जैन	सहायक आयुक्त	दमोह	मुख्यालय
2.	श्री दिक्तीप त्रिपाठी	सहायक आयुक्त	गुरेना	दतिया
3.	श्री एच०एस० पांडे	सहायक आयुक्त	उमरिया	हरदा
4.	श्री रवी०एम० शर्मा	सहायक आयुक्त	सागर	उमरिया
5.	श्री एस० के० जैन	सहायक आयुक्त	टीकगढ	सागर
6.	श्री आर०सी० शर्मा	सहायक आयुक्त	अनूपपुर	ग्वालियर
7.	श्री जी०पी० प्रजापति	सहायक आयुक्त	छतरपुर	मुख्यालय
8.	श्री राजेश क्षत्री	सहायक आयुक्त	बीज उत्पादक महारासंध गोपाल	मुख्यालय
9.	श्री: ओ०पी० गुप्ता	सहायक आयुक्त	धार	भोपाल (प्रशासन)
10.	श्रीमती श्यामा भारद्वाज	सहायक आयुक्त	मुख्यालय	होशंगाबाद
11.	श्री दी०पी० दावरा	सहायक आयुक्त	मुख्यालय	जबलपुर

01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफ कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।


03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जवाईनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय संवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



(2)

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितक, व्यक्तिगत नस्ती भविष्य निधि पुरितक आदि मतीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज वेल्फेयर / डेटावैश (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।



(एसओएनओमुस्ता)

संयुक्त आयुक्त

भारत आयुक्त सहकारिता

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 7-6-11

क्रमांक/स्थापना/1/2011/1410

प्रतिलिपि-

- 01- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म0प्र0।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त मुख्यालय सहित।
- 05- रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
- 06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 07- जिला कोषालय अधिकार समस्त/ कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल भवन भोपाल।
- 08- सहायक आयुक्त सहकारिता देसक मुख्यालय/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 09- सर्वसंबंधित अधिकारी 01 से 11 तक की ओर पालनार्थ।
- 10- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त आयुक्त

भारत आयुक्त सहकारिता

मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश
कमांक/स्थापना/1/2011/1415

भोपाल दिनांक 07/01/11

आदेश


सहकारिता विभाग के अंकेक्षण अधिकारी संघर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण कर अन्य आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	04	05
1.	श्री हरिसिंह गुर्जवार	भोपाल	ग्वालियर
2.	श्री मनीराम मोगरे	गिण्ड	ग्वालियर
3.	श्री जी०एस० सौलकी	बुरहानपुर	झाबुआ
4.	श्री दीपक जोशी	उज्जैन	इंदौर
5.	श्री प्रदीप वदनोरे	रतलाम	उज्जैन
6.	श्री रघुवीर सिंह गनावे	इंदौर	देवास

01- स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफ कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


निरंतर-2

(2)

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका व्यक्तितगत नरती भविष्य निधि पुरितका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लोईज कोड /डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात रवीकृत किया जावेगा।



(एस०एन०मु०प्र०)

संयुक्त आयुक्त


वारसे आयुक्त सहकारिता

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/1/2011/1415
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 7/6/11

- 01-- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान० मंत्री जी सहकारिता म०प्र० भोपाल।
 - 02-- प्रमुख सचिव म०प्र० शारान सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
 - 03-- कलेक्टर समस्त म०प्र०।
 - 04-- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त मुख्यालय सहित।
 - 05-- रजिस्ट्रार म०प्र० राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
 - 06-- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
 - 07-- जिला कोषालय अधिकार समस्त/ कोषालय अधिकारी विन्ध्यचल भवन भोपाल।
 - 08-- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
 - 09-- सर्वसंबंधित अधिकारी 01 से 06 तक की ओर पालनार्थ।
 - 10-- स्थापना 7/12 मुख्यालय।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त आयुक्त

वारसे आयुक्त सहकारिता

मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश
 क्रमांक/स्थापना/1/2011/1416 भोपाल दिनांक 7/6/2011

आदेश

सहकारिता विभाग के अंतर्धान अधिकारी संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण कर अन्य आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

क्र०	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04
1.	श्री वी०डी० उचाडिया	गुरैना	रीवा
2.	श्री डी०के० शिवहरे	भोपाल	उज्जैन
3	श्री एन०के० गुप्ता	छतरपुर	पन्ना
4	श्री ए.पी.एस. विलोदिया	इंदौर	होशंगाबाद किया गया आदेश निरस्त किया जाता है।


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफ कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफ कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश किया/नित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वार्निंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, व्यवहृत नस्ती भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्निंग करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


 (एस०एन०गुप्ता)
 संयुक्त आयुक्त
 वास्ते आयुक्त सहकारिता
 मध्यप्रदेश


(2)

कमांक / रथापना / 1 / 2011 / 1416

भोपाल दिनांक 7/6/2011

प्रतिलिपि-

- 01-- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।
- 02-- प्रमुख सचिव म0प्र0 शारान सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03-- कलेक्टर समस्त म0प्र0।
- 04-- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संग्राम समस्त मुख्यालय सहित।
- 05-- रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
- 06-- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 07-- जिला कोषालय अधिकार समस्त/ कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल भवन भोपाल।
- 08-- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 09-- सर्वसंबंधित अधिकारी 01 से 04 तक की ओर पालनार्थ ।
- 10-- रथापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वारत आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश


कमांक/स्थापना/दो/2011/1413

भोपाल दिनांक 07-06-11

आदेश

सहकारिता विभाग के वरिष्ठसहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर अन्य आगाभी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कालम नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री आर०डी० डहेरिया	मंडला	डिन्डोरी
02	श्री आर.एस. शर्मा	वालाघाट	सिंगरोली
03	श्री कृपाराम शर्मा	ग्वालियर	टीकमगढ़
04	श्री देवराज सिंह	सतना	पन्ना
05	श्री अनवर यार खान	मुख्यालय	छतरपुर
06	श्री विरुण कुमार अधिकार	खरगौन	मंदसौर
07	श्री करण सिंह ठाकुर	सीहोर	हरदा
08	श्री सुशील कु. मिश्रा	सागर	छतरपुर
09	श्री प्रकाश कुलकर्णी	आई.सी.डी.पी. इंदौर	छतरपुर
10	श्री व्ही. आर. दंडोतिया	झाबुआ	नीमच
11	श्री मिरीश शर्मा	उज्जैन	अलीराजपुर
12	श्री वृजेश कुमार वैश्य	मंदसौर	छतरपुर
13	श्री रामलाल मालवीय	रतलाग	उज्जैन
14	श्री कलशापति श्रीवास्तव	दमोह	पन्ना
15	श्री ज्ञान प्रकाश पिपरसानिया	छतरपुर	दमोह
16	श्री गंगाराम रैतवार	टीकमगढ़	रीवा
17	श्री व्हाय०पी०तेली	रीवा	सिंगरोली
18	श्री भारत सिंह	रीवा	सीधी
19	श्री के०आर०कोरी	सिवनी	सागर
20	श्री विश्वनाथ मेश्राम	सिवनी	रीवा
21	श्री डी०के० झारिया	सिवनी	सतना
22	श्री ए.पी.एस. कुशवाह	भोपाल	कार्या०आदेश क/स्था/ 2/3906 दि 25.11.10 से सागर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत भोपाल



23	श्री वी०डी० भारवानी	भोपाल	कार्यो०आदेश क/स्था/ 2/3906 दि.25.11.10 से सागर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत भोपाल
----	---------------------	-------	---


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरस्तका, व्यावितगत नरती भविष्य निधि पुरस्तका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


 (एस०ए०न०मु०घा०)
 संयुक्त आयुक्त
 वारसे आयुक्त सहकारिता
 मध्यप्रदेश

निरंतर--03

क्रमांक/स्थापना/दो/2011/ 1913
प्रतिलिपि -

गोपाल दि.नांक 07-06-11

- 01 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मानव मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 गोपाल।
- 02-- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय गोपाल।
- 03 कलेक्टर समस्त म0प्र0।
- 04 संयुक्त आयुक्त सहकारिता समग्र समस्त।
- 05 डायरेक्टर प्रोजेक्टर आई.सी.डी.पी. मानवीय संल मुख्यालय।
- 06 महाप्रबंधक आई.सी.डी.पी. इंदौर।
- 07 सहायक आयुक्त सहकारिता देवक मुख्यालय।
- 08 उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 09 जिला क्षेत्रपालय अधिकारी समस्त।
- 10- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 23 तक की ओर पालनार्थ।
- 11- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त
वास्तु आयुक्त सहकारिता
मध्य प्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्थापना/दो/2011/1111

भोपाल दिनांक 07-06-11

आदेश

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कालम नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री वी.एल. कछवाहा	डिन्डोरी	भंडला
02	श्री सी० एस० जुनागढ़	वैतूल	बुरहानपुर
03	श्रीमती नंदा श्रीवारतव	विदिशा	मुख्यालय
04	श्री विनोद कुमार मिश्रा	हरदा	देवास
05	श्री आर०डी० अवरस्थी	शिवपुरी	भिंड
06	श्री आर०एल० जाटव	सागर	भिंड
07	श्री पी.एल. चिल्ले	मुख्यालय	भोपाल
08	श्री गुलाब ठाकुर	भोपाल	मुख्यालय
09	श्री विजय शंकर पांडेय	रिंगरोली	रीवा
10	श्री गोविंद प्रसाद कोरी	दमोह	सागर
11	श्री प्रमोद गुप्ता	भिंड	गुरेना
12	श्री आर०एस० दुवे	वैतूल	छिंदवाडा
13	श्री सी०वी० जावलकर	छिंदवाडा	वैतूल
14	श्री वी०एल० सोलंकी	राजगढ़	देवास
15	श्री महेश चन्द्र पालीवाल	इंदौर	खरगौन


निरंतर 2

//2//


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश कियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइटम का लागू उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यक्तितगत नस्ती भविष्य निधि पुरितका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉयज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


(एस0एन0गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त
वारसे आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/दो/2011/ 1414
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 07-06-11

01- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।

02- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।

03- कलेक्टर समस्त म0प्र0।

04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त।


05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।

06- जिला कोषालय अधिकारी समस्त।

07- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 15 तक की ओर पालनार्थ।

08- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वारसे आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्थापना / दो / 2011 / 14 / 18

गोपाल दिनांक 7/11/11

आदेश

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से संवर्ग के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर क्रम नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04
01	श्री जुगल किशोर शर्मा	भिड	गवालियर

- 01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफ कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफ कार्यमुक्त करने की दिशि से स्थानांतरण आदेश किया न्यूनतम हुआ माना जावेगा।
- 02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के दिरुद्ध नियमानुसार अनुपस्थानात्मक कार्य नहीं की जावेगी।
- 04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितक, व्यक्तिगत नरती भविष्य निधि पुरितक आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड / डेटावेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।
- 05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक को अचकमक नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

(एस०एन०गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त
वारंते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/दो/2011/ 1118

गोपाल दिनांक 7/6/11

प्रतिलिपि-

- 01- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी मानद मंत्री जी सहकारिता गोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव गोपाल शारदा सहकारिता विभाग मंत्रालय गोपाल।
- 03- कलेक्टर जिला ग्वालियर/गिंड।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता ग्वालियर संभाग।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता गिंड/ग्वालियर।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी गिंड/ग्वालियर।
- 07- श्री जुगल किशोर शर्मा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा-
उप/सहायक आयुक्त सहकारिता गिंड।
- 08- स्थापना 7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त
वारसे आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्थापना/तीन/2011/1412

भोपाल दिनांक 7/6/2011


आदेश

सहकारिता विभाग के सहकारिता विस्तार अधिकारी/सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को दत्तमूल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कालम नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री चंद्र सिंह जागोद	घार	खडवा
02	श्री विजय कुमार गुप्ता	दतिया	गुना
03	श्री बाल कृष्ण रुरिया	छतरपुर	सागर
04	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	छतरपुर	रीवा
05	श्री पी०एल० अहिरवार	टीकमगढ़	रीवा
06	श्री राजेश अग्रवाल	सतना	रीवा
07	श्री के०के० गुप्ता	भिड़	श्यामपुर
08	श्री मोह० सईद सिद्धहकी	बालाघाट	वैतूल
09	कु० जया मुकाती	रतलाम	मंदसौर
10	श्री नरेन्द्र जैन	रतलाम	मंदसौर
11	श्री आर०एस० दुबे	विदिशा	गुना
12	श्री संजय कु. चावूताल जैन	विदिशा	अशोक नगर
13	श्री पी.सी. सोलंकी	इंदौर	मंदसौर
14	श्री हरिओम गुप्ता	भोपाल	वैतूल
15	श्री वी०आर० जंगल	भोपाल	वैतूल
16	श्री निरंजन सिंह वधेल	भोपाल	रतलाम
17	श्री अभय देशपांडे	भोपाल	विदिशा
18	श्री डी.के. भारद्वाज	सीहोर	खडवा
19	श्री श्रीकृष्ण सोनी	सीहोर	खडवा
20	श्री दीपचंद्र जैन	सीहोर	खरगोन
21	श्री पी.एस.रघुवंशी	रायसेन	विदिशा
22	श्री एस.के. गुप्ता	रायसेन	गुना
23	श्री राम दयाल राज	विदिशा	होशंगाबाद
24	श्री डी.सी.गुप्ता	राजगढ़	भोपाल



25	श्री कैलाश नारायण गुप्ता के.	राजगढ	गुरैना
26	श्री हैमंत सावयवार	राजगढ	शयोपुर
27	श्री के०एल० राठोर	वैतूल	खंडवा
28	श्री रमेश दुगाया	वैतूल	होशंगाबाद
29	श्री रांतोष साकलिया	उज्जैन	मंदसौर
30	श्री भारत भूषण पुरोहित	रतलाम	मंदसौर
31	श्री जगदीश जौनवाल	रतलाम	उज्जैन
32	श्री कन्हैया लाल वाघवा	मंदसौर	रतलाम
33	कु० विपिन बडगोती	मंदसौर	नीमच
34	श्री लीला विहारी तिवारी	रीवा	सतना
35	श्री महेन्द्र प्रताप श्रीवारतव	रीवा	शहडोल
36	श्री ओम प्रकाश श्रीवारतव	रीवा	सिंगरौली
37	श्री एम.जे.नूल अवाद्दीन	शहडोल	डिन्डोरी
38	श्री मिथिला प्रसाद अग्रवाल	उमरिया	शहडोल
39	श्रीमती शैला डिकाटे	जबलपुर	नरसिंहपुर
40	श्री सुभाष चंद्र बनवाल	सिवनी	डिन्डोरी
41	श्री लोकेश डहेरिया	सिवनी	मंडला
42	श्री राम किशोर राठोर	आई.सी.डी.पी.सागर	छतरपुर
43	श्री मुकेश कु० गुप्ता	दमोह	रीवा
44	श्री कन्हैया लाल लखेरा	दमोह	रीवा
45	श्री नगामी शंकर अग्रवाल	छतरपुर	गुरैना
46	श्री नरेन्द्र कु० खरे	टीकमगढ	छतरपुर
47	श्री डी०के० परमार	खरगोन	खंडवा
48	श्री ललित भावसार	खंडवा	खरगोन
49	श्री ओ०पी०दुवे	खंडवा	खरगोन
50	श्री दिशंवर दयाल अग्रवाल	शिवपुरी	शयोपुर
51	श्री चोथमल घुलिया	गुना	भिंड
52	श्री सुदर्शन जोशी	भोपाल	वैतूल
53	श्री अनिल अग्रवाल	भोपाल	मुख्यालय
54	श्री सुरेन्द्र मालवीय	उज्जैन	हरदा
55	श्री रतनलाल परमार	उज्जैन	मंदसौर
56	श्री पुनीत सिंह तिवारी	रीवा	सीधी
57	श्री एन०के० ताम्रकार	जबलपुर	रीवा
58	श्री ललित कु.जैन	जबलपुर	शहडोल



59	श्री टी०के० मिश्रा	सागर	सतना
60	श्री के०पी०रेकवार	सागर	गुरेना
61	श्री डी०के० सोनी	सागर	पन्ना
62	श्री नवीन कुमार जैन	आई.सी.डी.पी.सागर	गिंड
63	श्री एस.एल.खडेलवाल	इंदौर	बडवाणी
64	श्री के०बी० विजयवर्गीय	आई.सी.डी.पी.इंदौर	घार
65	श्री विश्वोरीलाल गुप्ता	गुरेना	गुना
66	श्री एस०के० शर्मा	गुरेना	शयोपुर
67	श्री हरिसिंह कम्पूरे	होशंगाबाद	वैतूल
68	श्री शिवशंकर पगारे	होशंगाबाद	वैतूल


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शाराकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उरावग अतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यवितगत नरनी भावेप्य निधि पुरितका आदि नवान पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पलाईज कोड /रेटारेंस (संबंधित कोपालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।



(एस०एन०गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त
वारसे आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कमांक/स्थापना/तीन/2011/ 1412

भोपाल दिनांक 7/6/20

प्रतिलिपि-

- 01- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म0प्र0।
- 04- डायरेक्टर प्रोजेक्ट आई.सी.डी.पी. मानीटरिंग सेल मुख्यालय।
- 05- महाप्रबंधक आई.सी.डी.पी. सागर/इंदौर।
- 06- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त।
- 07- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 08- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय।
- 09- जिला कोषालय अधिकारी समस्त।
- 10- सर्वसंबंधित कमांक 01 से 68 तक की ओर पालनार्थ।
- 11- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

कमांक/स्थापना/तीन/2011/1411

गोपाल दिनांक 7/6/2011

आदेश

सहकारिता विभाग के सहकारिता विस्तार अधिकारी/सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रतय के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कालम नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री रविशरण सिंह	सतना	इंदौर
02	श्री शैलेन्द्र सकवार	इंदौर	आई.सी.डी.पी.सागर
03	श्री एम.पी.पुरोहित	बैतूल	मुख्यालय
04	श्री ए०एस० तोगर	कटनी	सागर
05	श्री विष्णु दीक्षित	छतरपुर	पन्ना
06	श्री जगदीश गुप्ता	पन्ना	छतरपुर
07	श्री राकेश व्यास	खडवा	इंदौर
08	श्री वी०एल० वागोरा	बुरहानपुर	उज्जैन
09	श्री अशोक तिवारी	इंदौर	उज्जैन
10	श्री सोनीलाल गोड	पन्ना	जबलपुर
11	श्री डी०एल०उपाध्याय	रतलाम	नीमच
12	श्री के०के० शर्मा	नीमच	रतलाम
13	श्री राजेन्द्र खटीक	विदिशा	शाजापुर
14	श्री तोताराम सावले	अलीराजपुर	खडवा
15	श्री अनिल शर्मा	सिवनी	छिंदवाडा
16	श्री आर०सी० वामनिया	उज्जैन	रतलाम

(Handwritten signature)

17	श्री के०के० जगरे	रतलाम	धार
18	श्री धर्मराज नगपुरे	सिन्धी	बालाघाट
19	श्री मुकेश बांझल	बैतूल	छिंदवाडा
20	श्री रजनीश नायक	दमोह	सागर
21	श्री मनमोहन शर्मा	मुरैना	शिवपुरी
22	श्री नरेन्द्र सिंह	सीवा	सतना


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसी एक तरफ कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हैं उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाइम का लागू उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अतिरिक्त वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यक्तिगत नरती भविष्य निधि पुरितका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉयज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावे।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


(एसओएन०गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त
वास्तु आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/चार/2011/1409


गोपाल दिनांक 7/6/11

आदेश

सहकारिता विभाग के उप अंकेशक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कागज नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री हरीश महाजन	खंडवा	बुरहानपुर
02	श्री बी०पी० पाटिल	देवास	गोपाल
03	श्री एम०के० मेहता	रायसेन	होशंगाबाद
04	श्री आर०पी० सौलकी	बैतूल	हरदा
05	श्री व्हाय०पी० श्रीवास्तव	ग्वालियर	रीवा
06	श्री राजेश सिरसाट	इंदौर	कलवानी
07	श्री रविकान्त द्विवेदी	शिवपुरी	ग्वालियर
08	श्रीकृष्ण कुमार तिवारी	मंडला	जयन्तपुर
09	श्री बी०एस० पटेल	झाबुआ	इंदौर
10	श्री आई०एम०कुरेशी	उज्जैन	देवास

01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश कियान्वित हुआ माना जावेगा।




02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइट का लागू उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरस्तिका, व्यक्तिगत नरती भविष्य निधि पुरस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पलाईज कोड / डेटावेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।


05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


(एस०एन०मुस्ता)
संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/चार/2011/1409
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 7/6/11

- 01- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी मान० मंत्री जी सहकारिता म०प्र० भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म०प्र०।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी समस्त।
- 07- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 09 की ओर पालनार्थ।
- 08- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

कमांक/स्थापना/चार/2011/ 1408

भोपाल दिनांक 07-06-11

आदेश

सहकारिता विभाग के उप अंकेशक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कालम नंबर 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री गोपाल महेश्वरी	शोपुर	शिवपुरी
02	श्री देवेन्द्र सेतिया	छतरपुर	सीवा
03	श्री डी०के० राठौर	सीहोर	नीमन
04	श्री ए०के० सीटा	सीहोर	साधरोन
05	श्री दीपक दुबे	बिदिशा	शिवपुरी
06	श्री संजय पात्रीकर	बैतूल	भोपाल
07	श्री डी०के० मिश्रा	पन्ना	सीवा
08	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	टीवन्मगढ़	छतरपुर
09	श्री डी०एस० दांगी	दतिया	शिवपुरी
10	श्री डी०के० सोनी	सिवनी	मंडला
11	श्री प्रमोद कुमार राय	भोपाल	प्रति० पर आई०सी०डी०पी० मानीटरिंग सेल मुख्यालय

(Handwritten Signature)

निरंतर-02

01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यक्तिगत नरती भविष्य निधि पुरितका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पलाईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

(एस०एन०गुरा)

संयुक्त आयुक्त

वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कमांक/स्थापना/चार/2011/1408
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 07-0-11

01- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी मान० मंत्री जी सहकारिता म०प्र० भोपाल।

02- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।

03- कलेक्टर समस्त म०प्र०।

04- डायरेक्टर प्रोजेक्ट आई०सी०डी०पी० मन्नीट्रिंग रोल मुख्यालय।

05- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संग्राम समस्त।

06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।

07- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय।

08- जिला कोषालय अधिकारी समस्त।

09- सर्वसंबंधित कमांक 01 से 11 की ओर पालनार्थ।

10- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त

वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/पांच/2011/147


भोपाल दिनांक 7/6/11

आदेश

सहकारिता विभाग के लिपिक वर्गीय संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रवंय के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कालम नंबर 05 में उल्लेखित स्थान पर पदरथ किया जाता है--

क्र०	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदरथी स्थान	नवीन पदरथी स्थान
01	02	03	04	05
01	श्री रमेश आसवानी	संगामीय अधीक्षक	ग्वालियर	सहकारी न्यायाधिकरण भोपाल
02	श्री अशोक चौहान	शीघ्र लेखक ग्रेड-03	मुख्यालय	इंदौर
03	श्री सी०एल० पारी	सहायक ग्रेड-01	शहडोल	रीवा
04	श्री आर०वी०सिंह	सहायक ग्रेड-01	रीवा	सतना
05	श्री एस०दी०सिंह	सहायक ग्रेड-01	सतना	रीवा
06	श्री गुलाब सिंह	सहायक ग्रेड-01	टीकमगढ़	जबलपुर
07	श्री संजय पाठक	सहायक ग्रेड-02	भोपाल	विदिशा
08	श्री प्रीतमलाल उइक	सहायक ग्रेड-02	नरसिंहपुर	सिवनी
09	श्री कुलदीप अहिरवार	सहायक ग्रेड-02	मुख्यालय	टीकमगढ़
10	श्री डी०एस० वर्मा	सहायक ग्रेड-02	दतिया	ग्वालियर
11	श्री मिटठन लाल डहेरिया	सहायक ग्रेड-03	छिंदवाडा	सिवनी
12	श्री राजेश माडलेकर	सहायक ग्रेड-03	होशंगाबाद	हरदा
13	श्री फिरोज लश्करी	सहायक ग्रेड-03	खंडवा	बुरहानपुर

01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।




02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाइम का लग उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यवितगत नस्ती भविष्य निधि पुरितका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पलाईज कोड / डेटावेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।


05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


(एस०एन०मुस्ता)
संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/पांच/2011/1407
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 7/5/11

- 01- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी मान० मंत्री जी सहकारिता म०प्र० भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म०प्र०।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त मुख्यालय सहित।
- 05- रजिस्ट्रार म०प्र० राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
- 06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 07- जिला कोषालय अधिकार समस्त/ कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल भवन भोपाल।
- 08- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 09- सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 13 की ओर पालनार्थ।
- 10- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/पांच/2011/1406

भोपाल दिनांक 07/05/11

आदेश

सहकारिता विभाग के लिपिक वर्गीय संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक स्थानांतरित कर कलाम नंबर 05 में पदस्थ किया जाता है-

क्र०	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04	05
01	श्री प्यारे लाल कोल	सहायक ग्रेड-01	खंडवा	दमोह
02	श्री प्रेम नारायण रैकवार	सहायक ग्रेड-02	टीकमगढ़	दमोह
03	श्रीमती कमलकांति सोनी	सहायक ग्रेड-02	सिवनी	नरसिंहपुर
04	श्री शोभाराम वामनिया	सहायक ग्रेड-03	रतलाम	नीमच
05	श्री प्रफुल्ल जोशी	सहायक ग्रेड-03	गुना	अशोक नगर
06	श्री वी० एस० श्रोत्रिय	सहायक ग्रेड-03	झाबुआ	अलीराजपुर
07	श्री डी.के.शर्मा	सहायक ग्रेड-3	भोपाल	हरदा
08	कुमारी मोनिका नामदेव	सहायक ग्रेड-03	मुख्यालय	जबलपुर
09	श्री निरंजन कुमार पांडेय	सहायक ग्रेड-03	छतरपुर	टीकमगढ़


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश कियान्वित हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यवितगत नरती भविष्य निधि पुरितका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।


05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात रवीकृत किया जावेगा।


(एस0एन0मुता)
संयुक्त आयुक्त
वारंते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कमांक/स्थापना/पांच/2011/1406
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक - 07/06/11

- 01- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म0प्र0।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त।
- 05- रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
- 06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 07- सर्वसंबंधित कमांक 01 से 09 की ओर पालनार्थ।
- 08- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वारंते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कर्मालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

कमांक/स्था/पांच/2011/1417
आदेश

भोपाल दिनांक 7/8/11

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मानीटरिंग सेल मुख्यालय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री के0डी0 खंपरिया सहायक ग्रेड-01 की सेवाये प्रतिनियुक्ति से वापस ली जाकर मुख्यालय में अन्य आगामी आदेश होने तक पदस्थ किया जाता है।

(आयुक्त सह0 के अनुमोदन से)

संयुक्त आयुक्त
वारते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 7/8/11

कमांक/स्था/पांच/2011/1417
प्रतिलिपि-

- 01- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शारान सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- डायरेक्टर प्रोजेक्ट, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मानीटरिंग सेल मुख्यालय।
- 04- संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त सहकारिता (स्थापना/प्रशासन)मुख्यालय।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता राजगढ़/जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि श्री खंपरिया का वेतन आहरण राजगढ़ में सहायक ग्रेड-1 के रिक्त पद के विरुद्ध किया जायेगा।
- 06- सहायक आयुक्त सहकारिता (देयक) मुख्यालय की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ।
- 07- प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 08- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
- 09- श्री के0डी0 खंपरिया सहायक ग्रेड-01 द्वारा-डायरेक्टर प्रोजेक्टर एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मानीटरिंग सेल मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त
वारते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/6/2011/1405

गोपाल दिनांक 07/01/11

आदेश

सहकारिता विभाग के वाहन चालक संघों के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रमाण से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण कर अन्य आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है--

क्र०	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04	05
1.	श्री अनंत सिंह रघुवंशी	वाहन चालक	मुख्यालय	होशंगाबाद


01- स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियाचिंत हुआ माना जावेगा।

02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जवाबदेगी टाइम का लागू उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, व्यवहृत नरती भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से जवाबदेगी करने के पश्चात रखाकृत किया जावेगा।


(एस0एन0गुप्ता)

संयुक्त आयुक्त


वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

(2)

क्रमांक/स्थापना/06/2011/1405
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 07/11/11

- 01- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान0 मंत्री जी सहकारिता म0प्र0 भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मुख्यालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म0प्र0।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त मुख्यालय सहित।
- 05- रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
- 06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 07- जिला कोषालय अधिकार समस्त/ कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल भवन भोपाल।
- 08- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 09- संबंधित कर्मचारी श्री अनंत सिंह रघुवंशी वाहन चालक की ओर पालनार्थ ।
- 10- स्थापना 6/7/12 मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वारसे आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/6/2011/1404

गोपाल दिनांक 07/06/11

आदेश

सहकारिता विभाग के तृतीय श्रेणी (भृत्य) संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय/आपसी स्थानान्तरण कर अन्य आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है

क्र०	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04	05
01	श्री रमेश रामसिंह श्रीवारा	भृत्य	सहकारी अधिकरण गोपाल	मुख्यालय
02	श्री युवराज चौहान	भृत्य	अलीराजपुर	झाबुआ
03	श्री प्रेम सिंह चौहान	भृत्य	झाबुआ	अलीराजपुर
04	श्री चन्द्र गुप्ता तायडे	भृत्य	खण्डवा	बुरहानपुर
05	श्री विमल सिंह वारसनर	भृत्य	वैतूल	हरदा

01- स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उस एक सप्ताह कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश विमर्शित हुआ माना जावेगा।


02- जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हो उनका समयपर पालन सुनिश्चित किया जावे।

03- स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जर्दार्निंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शारदाकीय संवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04- स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुरितका, व्यक्तिगत नस्ती भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पलाईज कोड / डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

(2)


05- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।


(एसओएनएमपी॥)
संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/०६/२०११/१५७५
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक ०७/०१/११

- 01- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान० मंत्री जी सहकारिता म०प्र० भोपाल।
- 02- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 03- कलेक्टर समस्त म०प्र०।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संगणक समस्त मुख्यालय सहित।
- 05- रजिस्ट्रार म०प्र० राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल।
- 06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता समस्त।
- 07- जिला कोषालय अधिकार समस्त/ कोषालय अधिकारी विद्यार्थी भवन भोपाल।
- 08- सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय/प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय।
- 09- सर्वसंबंधित क्रमांक ०१ से ५ की ओर पालनार्थ।
- 10- स्थापना ६/७/१२ मुख्यालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त आयुक्त
वास्ते आयुक्त सहकारिता

मध्यप्रदेश